अपनी इच्छा से भी अपनी सेवाएँ दूसरे राज्य में देने हेतु सहमति देते हैं, ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न उठता है कि एक राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरूप शासकीय सेवा की पदक्रम सूची में वरिष्ठता क्या होगी। इस संबंध में नियम में यह प्रावधानित किया गया है कि राज्य पुर्नगठन अधिनियम, 1956 के उपबंधो या प्रावधानों के अनुसार पदक्रम सूची तैयार की जाकर वरिष्ठता निर्धारित की जायगी। सामान्यतः इसके अनुसार स्थायी शासकीय सेवकों को उनके स्थायी करने के दिनांक से परस्पर वरिष्ठता निर्धारित कर पदक्रम सूची तैयार की जाना चाहिए।

[1][12. **वरिष्ठता.**— किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जायेगी, अर्थात् :-

(1) सीधी भर्ती किये गये तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता—

(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी जिसमें नियुक्ति के लिये उनकी सिफारिश की गई

1. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना एफ. सी.-3-84-92-3-एक, दिनांक 2-4-1998 द्वारा प्रतिस्थापित। अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-4-1998 पृष्ठ 317-318 (1) पर प्रकाशित। *प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 12 निम्नवत था :-*

"*12. वरिष्ठता.*— किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या पद समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति—

(एक) सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता, उसकी परिवीक्षा के दौरान, उसकी नियुक्ति की तारीख से मानी जायेगी :

परन्तु यदि एक से अधिक व्यक्तियों का परिवीक्षा पर नियुक्ति के लिए चयन एक ही समय किया गया हो तो इस प्रकार चयन किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उन मामलों में, जिनमें आयोग से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्तियाँ की जाती हों, उस योग्यता-क्रम के अनुसार होगी जिस क्रम के अनुसार आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु उनकी सिफारिश की गई हो, तथा अन्य मामलों में चयन के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित योग्यताक्रम के अनुसार होगी।

(दो) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्तियों के स्थायी किये जाने पर भी पारस्परिक वरिष्ठता का यही क्रम रखा जाएगा यदि स्थायीकरण का आदेश परिवीक्षा की सामान्य अवधि की समाप्ति पर दिया जाए। तथापि, यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो नियुक्ति प्राधिकारी यह बात अवधारित करेगा कि उसे वही वरिष्ठता प्रदान की जाए जो उसे परिवीक्षा की सामान्य अवधि की समाप्ति पर स्थायी किए जाने पर प्रदान की जाती अथवा उसे कोई निम्न वरिष्ठता प्रदान की जाए।

फुटनोट अगले पृष्ठ पर सतत ....

है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरुप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरुप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

फुटनोट पिछले पृष्ठ से सतत ....

(ख) पदोन्नत शासकीय कर्मचारी—

पदोन्नत शासकीय कर्मचारी अपनी वरिष्ठता की गणना, जिस सेवा में उसे पदोन्नत किया गया हो, उसमें उसके स्थायीकरण की तारीख से करेगा तथा पदक्रम सूची में उसका नाम उस सेवा में अंतिम स्थायी सदस्य के नाम के ठीक नीचे, किन्तु समस्त परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के नामों के ऊपर लिखा जाएगा :

परन्तु जब दो या दो से अधिक पदोन्नत शासकीय कर्मचारी एक ही तारीख से स्थायी किये गए हों, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस सेवा में जिसमें उन्हें स्थायी किया गया हो, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, एक तो उस क्रम का, जिसमें उनके नाम ऐसी योग्यता सूची में, यदि कोई हो, लिखे हों, जो उनकी पदोन्नति हेतु उपयुक्तता अवधारित करने के लिए तैयार की गई हो और दूसरे उस निम्न सेवा में, जिसमें वे पदोन्नत किये गये हों, उनकी सापेक्ष वरिष्ठता का यथोचित ध्यान रखते हुए निश्चित करेगा।

(ग) स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी—

किसी उच्च सेवा में या पदों के किसी उच्च प्रवर्ग में स्थानापन्न रुप में कार्य करने के लिए पदोन्नत शासकीय कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी स्थानापन्नता की अवधि के दौरान वही रहेगी, जो कि उनकी मूल सेवा या ग्रेड में रही हो चाहे उच्च सेवा या ग्रेड में उन्होंने स्थानापन्न के रुप में किन्हीं भी तारीखों से कार्य प्रारंभ किया हो :

परन्तु—

(एक) यदि स्थानापन्न रुप से कार्य करने के लिए उनका चयन किसी ऐसी सूची से किया गया हो, जिसमें उच्च सेवा या ग्रेड में परीक्षण के बतौर कार्य करने के लिये या पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गये शासकीय कर्मचारियों के नाम योग्यता-क्रम से दिए गए हों तो उसकी पारस्परिक वरिष्ठता ऐसी सूची में दिये गये उनके योग्यता-क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी,

(दो) किसी ऐसे स्थायी शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता, जिसे अन्य सेवा या पद पर स्थानान्तरण द्वारा स्थानापन्न रुप में नियुक्त किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तदर्थ रुप से अवधारित की जाएगी :

परन्तु ऐसे शासकीय कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित वरिष्ठता अवधारित की जाएगी और विमुक्ति के आदेश में उसे सूचित की जायेगी।

(तीन) जब किसी स्थायी शासकीय सेवक को किसी निम्न सेवा ग्रेड या पद-प्रवर्ग में पदावनत कर दिया जाए तो उसका नाम बाद की सेवा, ग्रेड या पद प्रवर्ग की पदक्रम सूची में दिए गए सभी व्यक्तियों के नामों के ऊपर तब तक रखा जाएगा जब तक कि ऐसी अवनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी किसी विशेष आदेश द्वारा ऐसे पदावनत शासकीय कर्मचारी के लिये पदक्रम सूची में कोई भिन्न स्थान सूचित न करें,

(चार) जब किसी स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उसकी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए तो वह, उसकी मूल नियुक्ति, जिस पर वह अन्य सेवा या पद पर स्थानापन्न के रुप में नियुक्त किया जाने के पहले रहा हो, से संबंधित पदक्रम सूची में उसका जो स्थान रहा हो उस स्थान पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा।"

[1][परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य बन सेना एवं राज्य वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों को 88% तथा परिवीक्षा की कालावधि के दौरान संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों को 12% (10% अंक प्रशिक्षण के दौरान आयोजित परीक्षा के लिये तथा 2% अंक परिक्षण संस्थान में प्रक्षिण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों के व्यक्तित्व, व्यवहार, उपस्थिति एवं समय की पाबंदी तथा उन्हें दिए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर) अधिमान्यता देते हुए, कुल अभिप्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी।]

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिये उनकी सिफारिश की जाती है।

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्याधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति की पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जायेगी।

शासन विभाग की अधिसूचना एफ. 1-1/2016/1-3, दिनांक 7 फरवरी, 2017, द्वारा अन्तःस्थापित। राजपत्र (असाधारण), दिनांक 15 फरवरी, 2017 में पृष्ठ 93 पर प्रकाशित।

(ङ) सीधे भरती किये गये तथा पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त /पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(च) यदि किसी सीधी भरती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिये जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिये।

(छ) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लाक) सीधी भरती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे।

(2) स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता.—

(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भरती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिये उपबंधित भरती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथा स्थिति, सीधी भरती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा तथा उसे यथा स्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भरती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जावेगा।

(ग) व्यक्तियों के मामले में जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भरती नियमों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियत किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यत: उसे संविलियन की तारीख से की जावेगी। तथापि यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही

(संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको कि वह उसके [1][मूल विभाग] में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर [2][जो भी पूर्वतर हो] नियुक्त किया गया था।

स्पष्टीकरण -तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा।

(3) विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता.—

(क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद या कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो तथा यह भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिये लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश का शर्ते अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी जैसी की उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती।

(ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जानी है तथा भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिए की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी।

(ग) नए कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उसकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने

1. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.1-1/2001/1/3, दिनांक 10-1-2012 द्वारा (दिनांक 2-4-1998 से प्रभावी) शब्द ''वर्तमान विभाग'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-1-2012 में पृष्ठ 12 (1) पर प्रकाशित।
2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-1/2001/1/3, दिनांक 10-1-2012 द्वारा (दिनांक 14-12-1999 से प्रभावी) शब्द ''जो भी बाद हो'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-1-2012 में पृष्ठ 12 (1) पर प्रकाशित।

जायेंगे।

(घ) जब किसी कार्यालय में विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिये अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता नहीं रहेगी,जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि :-

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिए न चुना गया हो, तथा

(दो) इन तारीखों में इन संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिये अनुमोदन न किया गया हो।

(4) तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता.—

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उसकी सेवाओं के नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भर्ती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार, सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर के बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिये स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी।

[1][**12. Seniority.**— The seniority of the members of a service or a distrinct branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, viz :—

1. Substituted by GAD Notification F. No. C-3-84-92-3-1, dated 2-4-1998, Notification published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 2-4-1998 Pages 318(2-3). *Prior to substitution Rule 12 stood as under :*

"*12. Seniority.*— The seniority of the members of a service or a distrinct branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, viz :—

(a) *Direct recruits.*—

(i) The seniority of a directly recruited Government servant appointed on probation shall count during his probation from the date of his appointment :

Provided that if more than one person have been selected for appointment on probation at the same time, the inter se seniority of the persons so selected shall be according to the order of merit in which they were recommended for appointment by the Commission in those cases where the appointments are made after consulting the Commission, and according to the order of merit determined by the appointing authority at the time of selection in other cases .

Footnote contd. on next page....

(1) Seniority of Direct Recruitment and Promotees—

(a) The Seniority of persons directly appointed to a post according

Footnote contd. from last page ...

(ii) The same order of inter se seniority shall be maintained on the confirmation of such direct recrutis, if the confirmation is ordered at the end of the normal period of probation. If, however, the period of probation of any direct recruits is extended, the appointing authority shall determine whether he should be assigned the same seniority as would have been assigned to him if he had been confirmed on the expiry of the normal period of probation or whether he should be assigned a lower seniority.

(b) *Promoted Government servant.—*

A promoted Government servant shall count his seniority from the date of his confirmation in the service to which he has been promoted and shall be placed in the gradation list immediately below the last confirmed member of that service but above all the probationers :

Provided that where two or more promoted Government servants are confirmed with effect from the same date the appointing authority shall determined with their interse seniority in the service in which they are confirmed, with due regard to the order in which thay were included in the merit list, if any, prepared for determining their suitability for promotion and their relative seniority in the lower service from which they have been promoted.

(c) *Officiating Government servants.—*

The inter se seniority of Government servants promoted to officiate in a higher service or a higher category of posts shall, during the period of their officiation, be the same as that in their substantive service or grade irrespective of the dates on which they began to officiate in the higher service or grade.

Provided that—

(i) If they were selected for officiating from a list in which the names of Government servants considered suitable for trial in a promotion to the higher service or grade were arranged in order of merit, their inter se seniority shall be determined in accordance with the order of merit in such list;

(ii) The seniority of a permanent Government servant appointed to officiate in another service or post by transfer shall be determined 'ad hoc' by the appointing authority;

Provided that the seniority proposed to be assigned to such Government servant shall be determined and intimated to him in the order of appointment.

(iii) Where a permanent Government servant is reduced to a lower service, grade or category of posts, he shall rank in the gradation list of the latter service, grade or category of posts above all the others in that gradation list, unless the authority ordering such reduction by a special order indicates a different position in the gradation list for such reduced Government servant.

(iv) Where an officiating Government servant is reverted to his substantive service or post he shall revert to his position in that gradation list relating to his substantive appointment which he held before he was appointed to officiate in the other service or post."

to rules shall be determined on the basis of the order of merit in which they are recommended for appointment irrespective the date of joining. Persons appointed as a result of an earlier selection shall be senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

[1][Provided that inter-seniority of the Officers on probation of the State Administrative Service, State Police Service, State Forest Service and State Finance Service, appointed on probation through the Chhattisgarh Public Service Commission by direct recruitment, shall be determined as per the merit list prepared by adding the total marks obtained, by giving weightage of 88% to the marks obtained in the public Service Commission Examination and 12% (10% marks for the examination conducted during the training and 2% marks on the basis of assessment of personality, behaviour, attendance and punctuality of Probationary Officer and evalusation of work given to them during training at the training institute) to the marks obtained in the examination conducted by the Concerned training institution during the probation period.]

(b) Where promotions are made on the basis of selection by a Departmental Promotion Committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee.

(c) Where promotions are made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, the seniority or persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where however a person is considered as unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if subsequently found suitable and promoted, take seniority in the higher grade over the junior persons who had superseded him.

(d) The seniority of a person, whose case as deferred by the Departmental Promotion Committee for lack of Annual Character Rolls or for any other reasons but subsequently found fit to be promoted from the date on which his junior was promoted, shall be counted from the date of promotion of his immediate junior in the select list or from the date on which he is

1. Inserted by GAD Notification F. 1-1/2016/1-3, dated 7 Feb, 2017, Notification published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 15-2-2017 Page 93.

found fit to be promoted by the Departmental Promotion Committee.

(e) The relative seniority between direct recruits and promotees shall be determined according to the date of issue of appointment/ promotion order :

Provided that if a person is appointed/promoted on the basis of roster earlier than his senior, seniority of such person shall be determined according to the merit/ select/ fit list prepared by the appropriate authority.

(f) If the period of probation of any direct recruit or the testing period of any promotee is extended, the appointing authority shall determine whether he should be assigned the same seniority as would have been assigned to him if he had completed the normal period of probation/testing period successfully, or whether he should be assigned a lower seniority.

(g) If orders of direct recruitment and promotion are issued on the same date, promotee persons enblock shall be treated as senior to the direct recruitees.

(2) Seniority of Transferees-

(a) The relative seniority or persons appointed by transfer from one department to another department of the State Government shall be determined in accordance with the order of their selection for such transfer.

(b) Where a person is appointed by transfer in accordance with the provisions in the Recruitment Rules, providing for such transfer in the event of non availability of suitable candidates by direct recruitment or promotion, such transferee shall be grouped with direct recruits or promotees, as the case may be, and he shall be ranked below all direct recruits or promotees, as the case may be, selected on the same occasion.

(c) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant recruitment rules provide for "transfer on deputation/transfer") his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has however been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis, in-his parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his seniority, subject to the

condition that he will be given seniority, from the date he has been holding the post on deputation or the date which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his [1][present department] [2][whichever is earlier].

Explanation.— The fixation of seniority of a transferee in accordance with the above rule will not however affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption. In other words it will be operative only in filling up of vacancies in higher grade taking place after such absorption.

(3) Seniority in special types of cases—

(a) In case where a penalty of reduction to a lower service, grade or post is imposed on a Government servant and such reduction is for a specified period and is not to operate to postpone future increments, the seniority of the Government servant may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed in the higher service, grade or post or the higher time scale at what it would have been but for his reduction.

(b) Where the reduction is for a specified period and is to operate to postpone future increments, the seniority of the. Government servant on repromotion may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed by giving credit for the period of service rendered by him in the higher service, grade or post or higher time scale.

(c) The surplus employees shall not be entitled for the benefit of the past service rendered in the previous office for the purpose of their seniority in the new office and such employees shall be treaded as fresh entrants in the matter of their seniority.

(d) When two or more surplus employees of a particular grade in an office are selected on different dates for absorption in a grade in another office their inter-se seniority in the later office shall be the same as in their previous office provided that:—

1. Substituted by GAD Notifcation F 1-1/2011/1/3 dated 10th January, 2012 w.e.f. 2-4-1998 for the words "present department", Notification published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 10-1-2012 Page 12(2).
2. Substituted by GAD Notification No. F 1-1/2011/1/3 dated 10th January 2012 w.e.f. 14-12-1999 for the words, "whichever is later", Notification published in Chhatisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 10-1-2012 Page 12(2).

(i) no direct recruit has been selected for appointment to that grade in between these dates, and.

(ii) no promotee has been approved for appointment to that grade in between these dates.

(4) **Seniority of Adhoc employees.—**

(a) A person appointed on adhoc basis shall not get any seniority till the regularisation of his services.

(b) If a person is appointed on adhoc basis by substantially following the procedure laid down by the Recruitment Rules and the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularisation of his service in accordance with the rules, the period of officiating service shall be counted for seniority.]

टिप्पणी

इस नियम में उन आधारों को निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार सिविल सेवकों की वरिष्ठता निर्धारित कर पदक्रम सूची तैयार की जानी है।

इस नियम में विभिन्न प्रकार के शासकीय सेवकों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु सिद्धांत स्पष्ट किए गए हैं। सीधी भर्ती, पदोन्नत शासकीय सेवक, स्थानापन्न शासकीय सेवक, स्थानान्तरित शासकीय सेवक की वरिष्ठता निर्धारण के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। साथ ही तदर्थ रूप से नियुक्त शासकीय कर्मचारियों की वरिष्ठता को भी तय करने हेतु प्रावधान किया गया है। कुछ विशेष प्रकार के मामलों जैसे सेवा या पद में कटौती या अतिशेष कर्मचारियों के संबंध में भी नियम 12(3) में वरिष्ठता निर्धारण करने का आधार का उल्लेख किया गया है। म.प्र. शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन ने समय-समय पर इस नियम के संबंध में ज्ञापन एवं निर्देश भी जारी किए -

राज्य शासन आदेश

विषय— तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता।

म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा मिसलेनियस पिटीशन क्रमांक 670, वर्ष 1979 बी.के. श्रीवास्तव तथा अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य एवं अन्य के मामले में दिये गये निर्णय की एक प्रति आपको सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन के लिए संलग्न है, उच्च न्यायालय ने इस निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि जिस व्यक्ति को किसी पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता है उसे उस पद पर तदर्थ रूप से नियुक्ति की अवधि का लाभ वरिष्ठता के लिये नहीं मिल सकता। उसे उस पद पर उसी तारीख से वरिष्ठता प्राप्त होगी, जब से उसे नियमित रूप से नियुक्त के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया गया है तथा उनकी परस्पर वरिष्ठता उसी क्रम में रहेगी जिस क्रम से उसको आयोग की चयन सूची में रखा गया है।

2. इस निर्णय के पैरा 12 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ए.डी. सन्नीवार विरुद्ध म.प्र. शासन (1976 एम.पी.एल.जे. 667) में उनके द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार पाँच वर्ष की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप अर्द्ध-स्थाई हो जाने के उपरान्त भी कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से वरिष्ठ नहीं हो सकता जो उनके पश्चात् नियमित रूप से नियुक्त या पदोन्नत हुए

हों, उपर्युवत प्रकार अर्द्ध-स्थाई होने से उनको नियमित रुप से नियुक्त/पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के ऊपर वरिष्ठता पाने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।

3. आपसे निवेदन है कि शासकीय सेवकों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करते समय म.प्र. उच्च न्यायालय के इस निर्णय में उल्लिखित सिद्धांतों का ध्यान रखा जाये।

[सामान्य प्रशासन विभाग डी. क्रमांक 140/400/1/(3)81, दिनांक 30-3-1981]

विषय: तदर्थ रूप से नियुक्त/पदोन्नत होने पर वरिष्ठता का निर्धारण।

संदर्भ: इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी/3-2/83/3/1, दिनांक 16-8-83 ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्र. डी-8/621/92/नि-1/चार, दिनांक 8-1-93 द्वारा वित्त विभाग के पूर्व परिपत्र क्र. 430/4445/79/नि-1/चार, दिनांक 7-4-80, जिसमें यह प्रावधान था कि तदर्थ रूप से नियुक्त/पदोन्नत शासकीय सेवकों को पद के लिए स्वीकृत वेतनमान का न्यूनतम वेतन ही प्राप्त होगा एवं ऐसी नियुक्ति कालावधि में उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी, निरस्त किया गया है। इस आदेश के फलस्वरूप तदर्थ रूप से नियुक्त/पदोन्न शासकीय सेवकों को भी तदर्थ नियुक्ति की कालावधि में वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता हो गई है।

2. वित्त विभाग के उल्लेखित आदेश दिनांक 7-4-80 के सन्दर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16-8-83 में भी यह प्रावधान किया गया था कि तदर्थ रूप से की गई नियुक्तियाँ जब तक नियमित नहीं होती, तब तक वरिष्ठता एवं वेतन निर्धारण के सामान्य नियम लागू नहीं होंगे। चूंकि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 8 जनवरी, 1993 के द्वारा उनका पूर्व परिपत्र दिनांक 7-4-80 निरस्त कर दिया गया है, अतः ऐसी स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16 अगस्त, 1993 में उल्लेखित वेतन निर्धारण के लाभ पर लगाई गई रोक अब समाप्त हो गई है। वेतन निर्धारण के प्रश्न को छोड़कर शेष जो अन्य प्रावधान इस परिपत्र में हैं अर्थात् वरिष्ठता संबंधी, यथावत लागू रहेंगे।

3. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 8 जनवरी, 1993 के सन्दर्भ में यदि किसी तदर्थ रूप से नियुक्त/पदोन्नत शासकीय सेवक को वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की जाती है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसकी उक्त नियुक्ति को नियमित मान लिया जायेगा बल्कि वह नियुक्ति पूर्ववत् तदर्थ स्वरूप की ही बनी रहेगी, मात्र वेतन वृद्धि का लाभ उसे मिल सकेगा। यहां पर यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि तदर्थ रूप से नियुक्त/पदोन्नत शासकीय सेवक को नियमानुसार जब तक नियमित नियुक्ति नहीं की जाती तब तक उसे उक्त पद पर किसी प्रकार की वरिष्ठता आदि का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

4. शासन चाहता है कि उपर्युक्त निर्देशों का अत्यन्त कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सी/3-3/93/3/1, दिनांक 12-5-1993]

विषय: शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति/स्थाईकरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत।

संदर्भ: 1. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 209/2449/1/3/63, दिनांक 31-1-1964 ।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 3-17/79/3/एक, दिनांक 11-1-1980।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 6-1/80/1/3, दिनांक 12-7-1980।

5. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 620-1213-1-3-82, दिनांक 23-9-1982।

उपरोक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित मार्जिन में अंकित निर्देशों तथा इस संबंध में समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए एवं उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय दिनांक 27-8-91 [**भारत संघ बनाम जानकीरमण इत्यादि ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 2010: (1991) 4 एस.सी.सी. 109**] तथा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 22011/4/91-स्था. (क) दिनांक 14-9-92 के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे शासकीय सेवकों के पदोन्नति के मामलों में, जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाही लंबित हो अथवा जिसके आचरण की जांच की जा रही हो, के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार होंगे—

2. (1) **उन शासकीय सेवकों के मामले, जिन पर मुहरबंद लिफाफे की क्रियाविधि लागू होती है**—शासकीय सेवकों के पदोन्नति संबंधी मामलों पर विचार करते समय पदोन्नति की विचारण परिधि में आने वाले ऐसे शासकीय सेवकों के ब्यौरे, जो निम्न वर्गों के अन्तर्गत आते हों, विशेष तौर पर विभागीय पदोन्नति समिति के ध्यान में लाये जाने चाहिए—

(*i*) निलंबित शासकीय सेवक,

(*ii*) शासकीय सेवक, जिन्हें आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है और जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है और .

(*iii*) शासकीय सेवक, जिन पर, किसी आपराधिक आरोप के आधार पर, अभियोजन के प्रकरणों में, जिनमें चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हो तथा कार्यवाही लम्बित है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नीचे उल्लेखित बंद लिफाफे की प्रक्रिया केवल ऐसे शासकीय सेवकों के लिए अपनाई जायगी, जिनके विरुद्ध या तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप-पत्र वास्तविक रूप से जारी कर दिया गया हो और या जिनके विरुद्ध अभियोजन पत्र वास्तव में अदालत में पेश हो गया हो।

(2) **विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पैरा 2(1) में वर्णित प्रवर्गों के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि**—विभागीय पदोन्नति समिति, उन शासकीय सेवकों के, जो कि ऊपर वर्णित वर्गों के अन्तर्गत आते हैं, उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन पर विचार न करते हुए, अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी। विभागीय पदोन्नति समिति के उपयुक्तता संबंधी मूल्यांकन, जिसमें पदोन्नति के लिये अयोग्य भी शामिल हो सकता है, इसके द्वारा दिये गये ग्रेड को, मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर '' श्री .... (शासकीय सेवक का नाम) के सम्बन्ध में .... ग्रेड में/पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्तता सम्बन्धी निष्कर्ष । इसे श्री .... (शासकीय सेवक का नाम) के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन की सम्पूर्ति पर ही खोला जायेगा'' अंकित किया जायेगा। विभागीय पदोन्नति के कार्यवृत में केवल इस आशय के नोट की ही आवश्यकता है कि ''निष्कर्ष संलग्न सीलबंद लिफाफे में दिये गये हैं।'' जब किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति के लिये उपयुक्तता के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष किसी मुहरबंद लिफाफे में रखे गये हों तो रिक्ति को भरने के लिये सक्षम प्राधिकारी को अलग से यह सलाह दी जानी चाहिए कि उच्च ग्रेड में इस रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर ही भरा जाए।

(3) **अनुवर्ती विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि**—उपरोक्त पैरा-2(2) में उल्लिखित वही क्रियाविधि आयोजित की जाने वाली अनुवर्ती विभागीय समितियों द्वारा तब तक अपनाई जायेगी जब तक कि संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामला/आपराधिक अभियोजन का मामला समाप्त नहीं हो जाता।

3. (1) **अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले की सम्पूर्ति उपरान्त कार्यवाही**—ऐसे किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन के मामले में, जिसमें शासकीय सेवक के विरुद्ध आरोपों को वापस ले लिया जाता है, कि सम्पूर्ति कर मुहरबंद लिफाफे/लिफाफों को खोला जायेगा। ऐसे मामले में जब किसी शासकीय सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उसकी पदोन्नति की तारीख, मुहरबंद लिफाफों में रखे गये निष्कर्षों में, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा इस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के सन्दर्भ में निर्धारित की जायेगी। ऐसे शासकीय सेवक को, यदि जरुरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले सबसे बाद में पदोन्नत किये गये व्यक्ति को पदावनत कर, पदोन्नत किया जा सकता है। उसे उसके कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में कल्पित रूप में (नोशनल) पदोन्नत किया जा सकता है। तथापि इस प्रश्न का, कि क्या संबंधित शासकीय सेवक वास्तविक पदोन्नति की तारीख से पहले की कल्पित (नोशनल) पदोन्नति की अवधि के लिये वेतन के किन्हीं बकायों का पात्र होगा और यदि हां तो किस सीमा तक, इस मामले में निर्णय नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक क्रियाविधि/आपराधिक अभियोजन के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिया जायेगा। जहाँ कहीं भी प्राधिकारी द्वारा वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों से इंकार किया जाता है तो ऐसे निर्णय के कारणों को रिकार्ड किया जायेगा। ऐसे सभी हालातों का पूर्वानुमान लगाया जाना तथा विस्तृत रूप में निरुपित करना संभव नहीं है, जिनके अंतर्गत वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों से इंकार किया जाना जरुरी हो। ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ कार्यवाही में, चाहे यह कार्यवाही अनुशासनिक अथवा आपराधिक स्वरूप की ही हो, शासकीय सेवक की वजह से देरी हुई हो अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह के लाभ के कारण अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो और जिसके लिए शासकीय सेवक के कृत्य के कारण साक्ष्य अनुपलब्ध हो गई हो। यह कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति को न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

(2) यदि अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप शासकीय सेवक पर कोई शास्ति लगाई जाती है अथवा उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन में उसे दोषी पाया जाता है तो उस स्थिति में मुहरबंद लिफाफा खोलने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात् लिफाफे/लिफाफों में रखे निष्कर्षों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी। अत: ऐसी स्थिति में उसकी पदोन्नति के मामले पर, सामान्यत: उस पर आरोपित शास्ति को ध्यान में रखते हुए, अगली विभागीय पदोन्नति समिति में विचार किया जायेगा।

(3) सामान्यत: किसी शासकीय सेवक को अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप दंडित तब ही करना चाहिए जब ऐसा करने के लिए जांच के निष्कर्षों में उपयुक्त/अच्छे एवं पर्याप्त (Good &

Sufficient) आधार हों। जांच के फलस्वरूप ऐसे उपयुक्त/अच्छे एवं पर्याप्त आधार न हों तो शासकीय सेवक को दोषमुक्त करना चाहिए। शासन के ध्यान में यह बात आई है कि कई प्रकरणों को, जिनमें अपचारी अधिकारी के विरुद्ध की गई जांच में उसका दंडित करने के उपयुक्त/अच्छे एवं पर्याप्त आधार थे, केवल चेतावनी देकर समाप्त कर दिया गया और इस आधार पर अपचारी अधिकारी को पदोन्नत भी कर दिया गया इस प्रकार की कार्यवाही करना अनुचित है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत चेतावनी दण्ड की परिभाषा में नहीं आती। अर्थात् इन नियमों के अन्तर्गत जो दण्ड परिभाषित है, उनमें चेतावनी सम्मिलित नहीं है। नियमों के अन्तर्गत की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच के परिणामस्वरूप यदि यह पाया जाता है कि अपचारी शासकीय सेवक पर कुछ दोष आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस पर कम से कम परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक है और ऐसे प्रकरणों में केवल चेतावनी देकर समाप्त नहीं करना चाहिए।

4. मुहरबंद लिफाफों के मामलों की छमाही समीक्षा—यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि शासकीय सेवक के विरुद्ध लगाये गये किसी अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले में अनुचित रूप से विलम्ब न किया जाये और इस संबंध में कार्यवाही को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने के सभी प्रयास किये जाने चाहिए ताकि शासकीय सेवक के मामले को मुहरबंद लिफाफे में कम से कम अवधि तक ही रखा जाए। अत: संबंधित नियोक्ता प्राधिकारियों को चाहिए कि उनके द्वारा ऐसे शासकीय सेवकों के प्रकरणों की, जिनके उपयुक्तता संबंधी मामलों को अगले ग्रेड पर पदोन्नति करने के लिए पहली विभागीय समिति, जिसने उस शासकीय सेवक की उपयुक्तता पर निर्णय लिया था और साथ ही अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, के आयोजन की तारीख से छ: माह की अवधि समाप्त होने पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जाए। ऐसी समीक्षा बाद में हर 6 महीने के अन्तर पर की जानी चाहिए। इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक अभियोजन में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिए तथा इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आगामी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

5. (1) तदर्थ पदोन्नति के लिये क्रियाविधि—उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित छ:माही समीक्षा किये जाने के बावजूद कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें पहली विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने शासकीय सेवक के संबंध में अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, की बैठक की तारीख से दो साल बाद भी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया हो। ऐसी स्थिति में नियोक्ता अधिकारी ऐसे शासकीय सेवक के मामले की समीक्षा करें, बशर्ते कि वह शासकीय सेवक निलम्बनाधीन न हो तथा निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तदर्थ पदोन्नति दिये जाने की संभावना पर विचार किया जाय कि—

(क) क्या शासकीय सेवक की पदोन्नति लोकहित के विरुद्ध होगी?

(ख) क्या आरोप इतने गम्भीर हैं कि उसे पदोन्नति से वंचित रखे रहना जरुरी है?

(ग) क्या निकट भविष्य में प्रकरण के पूरा होने की संभावना है?

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी न्यायालयीन कार्यवाही को अन्तिम रूप दिये जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित शासकीय सेवक का कोई योगदान है?

(ङ) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित शासकीय सेवक तदर्थ पदोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरूपयोग कर सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप विभागीय/आपराधिक अभियोजन के मामलों में संबंधित कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है?

लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक अभियोजन के मामलों में नियोक्ता प्राधिकारी को उक्त संस्थाओं से भी परामर्श करना चाहिए और उनके विचारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(2) **सेवा के समग्र रिकार्ड के आधार पर तदर्थ पदोन्नति हेतु मूल्यांकन**—यदि नियोक्ता प्राधिकारी इस आशय के किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शासकीय सेवक को तदर्थ पदोन्नति दिया जाना लोकहित के विरुद्ध नहीं होगा तो उस स्थिति में इस संबंध में इस आशय का कोई निर्णय लिये जाने के लिये कि क्या संबंधित शासकीय सेवक तदर्थ आधार पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त है या नहीं उसके मामले को, दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, सामान्य रूप से आयोजित की जाने वाली अगली विभागीय पदोन्नति समिति के सम्मुख रखा जाना चाहिए। जहाँ शासकीय सेवक के नाम पर तदर्थ पदोन्नति के लिये विचार किया जाता है, तो उस स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति को चाहिए कि वह उस शासकीय सेवक के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक/आपराधिक अभियोजन के मामले पर ध्यान न देते हुए, उस व्यक्ति के सेवा के समग्र रिकार्ड के आधार पर उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करे।

(3) **तदर्थ पदोन्नति का आदेश जारी किया जाना**—किसी शासकीय सेवक को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किये जाने के संबंध में कोई निर्णय लिये जाने के बाद उसकी पदोन्नति का आदेश जारी किया जाये और जारी आदेश में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाये कि—

(i) पदोन्नति विशुद्ध रूप में तदर्थ आधार पर की जा रही है और इस तदर्थ पदोन्नति से शासकीय सेवक को नियमित पदोन्नति का कोई हक हासिल नहीं होगा,

(ii) की जा रही पदोन्नति का विभागीय जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा

(iii) पदोन्नति में "आगामी आदेश तक" ही होगी। आदेशों में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि शासन/सक्षम प्राधिकारी उक्त तदर्थ पदोन्नति को रद्द करने तथा उसे वापस उसी पद पर भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद से उसे पदोन्नत किया गया था।

(4) **तदर्थ पदोन्नति का नियमित किया जाना तथा पैरा 3 (1) की सुविधाएं दी जाना**—यदि संबंधित शासकीय सेवक को मामले के गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अभियोजन से दोषमुक्त कर दिया जाता है अथवा विभागीय कार्यवाही में पूरी तरह दोष रहित करार दिया जाता है, तो तदर्थ पदोन्नति को नियमित पदोन्नति में परिवर्तित कर दिया जाये और इस पदोन्नति को तदर्थ पदोन्नत होने की तारीख से ही सभी संबंधित प्रसुविधाओं सहित नियमित पदोन्नति के रूप में माना जाये। यदि ऐसे शासकीय सेवक को मुहरबंद लिफाफे में रखी गई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही में निश्चित किये गए उसके स्थानक्रम को देखते हुए तदर्थ पदोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से, जिसे उक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति की वास्तविक तारीख से, जिसे उक्त शासकीय सेवक के तत्काल बाद कनिष्ठ स्थान दिया गया है, सामान्यत: नियमित

में निरुपित विधिवत् वरिष्ठता तथा पदोन्नति मिल गई हो, तो उस स्थिति में उसे उपरोक्त पैरा 3 (1) कल्पित (नोशनल) पदोन्नति की सुविधाएँ दे दी जाएंगी।

(5) **तदर्थ पदोन्नति निरस्त किया जाना**—यदि शासकीय सेवक को आपराधिक अभियोजन से गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि तकनीकी आधार पर ऐसा किया जाता है और साथ ही शासन या तो इस मामले को किसी उच्च न्यायालय में ले जाना चाहता है अथवा विभागीय तौर पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है अथवा ऐसे शासकीय सेवक को यदि विभागीय कार्यवाही में दोष रहित करार नहीं दिया जाता तो उसे दी गई तदर्थ पदोन्नति को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

6. **स्थायीकरण के लिए ''मुहरबंद लिफाफे'' की क्रियाविधि**—किसी निलम्बनाधीन शासकीय सेवक अथवा जिसके विरुद्ध अभियोजन में विभागीय जांच चल रही हो, के स्थायीकरण के दावे पर विचार करते समय भी पिछली कंडिकाओं में उल्लिखित क्रियाविधि का ही अनुसरण किया जाना चाहिए। जब ऐसे किसी शासकीय सेवक के मामले को विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है तो उसके लिए एक स्थायी रिक्ति भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

7. **ऐसे शासकीय सेवक के प्रकरण में मुहरबंद लिफाफे की क्रियाविधि, जिसके विरुद्ध कोई मामला विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद परन्तु वास्तविक रूप में उनकी पदोन्नति होने से पहले, सामने आता है**—कोई शासकीय सेवक, जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामले में पैरा 2 (1) में उल्लिखित कोई हालात विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी पदोन्नति होने से पहले सामने आते हैं, तो उसके मामले में यह मानकर कार्यवाही की जावेगी कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उससे संबंधित अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गई है, अर्थात् ऐसे प्रकरण में पदोन्नति नहीं की जायेगी और मुहरबंद लिफाफे की प्रक्रिया उसमें लागू हो गई मानी जाएगी। ऐसे शासकीय सेवक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न कर दिया जाए। यदि अपचारी अधिकारी दोषमुक्त नहीं होता है तो विभागीय पदोन्नति की सिफारिश पर अमल नहीं किया जाएगा।

8. उपरोक्त विषय में संबंधित अनुशासनिक/न्यायालयीन मामले में अथवा अन्य किन्हीं शासकीय निर्देशों में जहाँ-कहीं पैरा-ए के मार्जिन में अंकित निर्देशों का उल्लेख हुआ हो तो उन्हें एतद्द्वारा निरस्त माना जाकर, उनके स्थान पर इन निर्देशों को पढ़ा जाये और इस ज्ञापन द्वारा जारी निर्देशों का सावधानीपूर्वक दृढ़ता से पालन कराया जाये।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सी6-2/94/3/1, दिनांक 30-6-1994]

विषय: वरिष्ठता सूची का संधारण।

संदर्भ: इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 133/1600/1/3, दिनांक 18-1-1964।

शासकीय सेवकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा जो पदक्रम सूची का प्रपत्र निर्धारित किया गया है, उसके संबंध में पुन: विचार कर उसे युक्तियुक्त बनाया गया है और

पदक्रम सूची के प्रथम पृष्ठ पर संवर्ग के बारे में आवश्यक जानकारियों के लिये पत्रक निर्धारित किया गया है। पदक्रम सूची में अब 11 कालम निर्धारित किये गये हैं जिनमें वांछित जानकारी दी जानी होगी।

2. पदक्रम सूची का पुनरीक्षित प्रपत्र संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षित प्ररूप में ही पदक्रम सूचियाँ प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति में प्रकाशित की जाने की व्यवस्था की जाए तथा प्रकाशित पदक्रम सूची की एक प्रति आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन विभाग की नियम शाखा को भेजी जाए।